नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

5 युवाओं का भविष्य अंधकार में

4 राज्य में 1.80 करोड़ मतदाताओं केनाम कटे

9 भारत-जापान साझेदारी से यूपी में निवेश-रोजगार बढ़ेगा

8 600वें टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत

जेपी की धरती पर तेजस्वी मार्च

झारखंड के बाद बिहार में छात्र आंदोलन, आरजेडी नेता अरेस्ट

पटना, 19 अगस्त. पटना में छात्रों के मुद्दे, पेपर लीक, बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर निकला आरजेडी का राजभवन मार्च हंगामे में बदल गया. पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मीसा भारती, संजय यादव समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया.

सरकार डर गई है, हम जेल से नहीं डरते

गिरफ्तारी के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार डर गई है। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा लेकर छात्रों के मुद्दे पर मार्च निकाल रही थी, लेकिन पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों के अधिकार, बेरोजगारी खत्म करने, पेपर लीक रोकने और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है.

झुके सोरेन, 44 परीक्षाएं रद्द

इधर, झारखंड में 24 दिनों के लंबे छात्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के बाद, हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए

जेसीसीएल, सीजीएल परीक्षा और वर्ष 2014 से टीडीपीएल व जेपीएससी द्वारा आयोजित कुल 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है. इसके अलावा गड़बड़ी और धांधली के आरोपों से जुड़ी 17 परीक्षाओं की विशेष जांच सीआईडी को सौंपी गई है.

सीएम के आदेश पर कार्रवाई

मार्च के दौरान पुलिस की ओर से वाटर कैनन के इस्तेमाल पर भी तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर हो रही है. तेजस्वी ने कहा कि वाटर कैनन चलाने या इस तरह की दूसरी कार्रवाई करने से आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

तो आज बिहार बंद

तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार छात्रों की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए राज्य सरकार को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि केवल पत्र जारी करने से काम नहीं चलेगा, छात्रों की रिहाई सुनिश्चित करनी होगी. अगर सरकार ने मांगें नहीं मानीं, तो गुरुवार को बिहार बंद किया जाएगा.

10 लाख रिश्वत लेते लेखा नियंत्रक अरेस्ट

नई दिल्ली. सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में आंतरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत उप नियंत्रक लेखा को गिरफ्तार किया है. आरोपी अपनी पत्नी के जरिए 10 लाख रुपये की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया. अधिकारी ने एक निजी कंपनी के अनुबंध के नवीनीकरण से जुड़ी लंबित फ़ाइल को तेजी से आगे बढ़ाने के बदले शिकायतकर्ता से 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.

एनटीए में सुराख नहीं, पर पेपर लीक

नीट परीक्षा सिस्टम फुलप्रूफ होने का सुको में केंद्र का दावा

नई दिल्ली, 19 अगस्त. केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के आयोजन की मौजूदा व्यवस्था में प्रश्नपत्र की सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए गए हैं.

सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में प्रश्नपत्र की तैयारी, प्रिंटिंग, परिवहन, भंडारण और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी.

सरकार ने बताया कि पेपर सेट होने से लेकर प्रिंटिंग तक सीसीटीवी कैमरों और सीआईएसएफ की निगरानी रहती है. प्रश्नपत्रों को डिजिटल लॉक वाले बॉक्स में रखा जाता है. परीक्षा के दिन ही फाइनल पेपर महानिदेशक खुद तय करते हैं और केंद्र तक पहुंचाया जाता है.

सुधार समितियों पर मांगा जवाब: सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को राधाकृष्णन पैनल और नंदन नीलेकणी कमेटी की सिफारिशों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.

कर्नाटक कांग्रेस में फिर खींचतान

▸ सिद्दारमैया सहित कई विधायकों ने सीएलपी से बनायी दूरी

बेंगलुरु, 19 अगस्त. मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व में आयोजित पहली कांग्रेस विधायक दल की बैठक से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और कई वरिष्ठ विधायकों की दूरी ने सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर छिपी नाराजगी को सतह पर ला दिया है.

यह बैठक शिवकुमार ने विपक्ष का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने के मकसद से बुलाई थी, लेकिन बेंगलुरु में होने के बावजूद सिद्दारमैया और कई वरिष्ठ कांग्रेस विधायकों का बैठक में शामिल न होने से इस बैठक को एक नया राजनीतिक रंग मिल गया. इससे हाल ही में हुए नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की अटकलों को और हवा मिली. बैठक से दूर रहने वालों में सर्वश्री एच.सी. महादेवप्पा, शिवानंद पाटिल, एम. कृष्णप्पा, प्रियाकृष्ण, एम.सी. सुधाकर, एस.एन. नारायणस्वामी और कोथनूर मंजूनाथ शामिल थे.

वंदे मातरम् पर छग में घमासान

बघेल ने भाजपा के आरोपों पर उठाए सवाल

रायपुर, 19 अगस्त. वंदे मातरम को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच घमासान तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भूमिका पर सवाल उठाए हैं.

वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस के रुख पर सवाल खड़े किए और इस विषय पर खुली बहस की चुनौती दी है. पूर्व

मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि आजादी से पहले भाजपा के किसी नेता ने वंदे मातरम् गाया था या आंदोलन में हिस्सा लिया था क्या? कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम् गाया जाता रहा है. कांग्रेस ने ही इस गीत को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया था. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् के लिए कांग्रेसियों ने लाठियां और गोलियां खाई हैं.

एक नजर में

ओडिशा हाईकोर्ट को मिलेंगे चार नए जज

बेंगलुरु. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कई उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इनमें ओडिशा हाईकोर्ट के लिए सस्मिता त्रिपाठी, आदित्य नारायण दास, राजजीत रॉय और गौतम मिश्रा के नाम शामिल हैं. गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए नचुम्बेमो मोजुई और हेलेन डांग्लियानी को प्रस्तावित किया गया है.

पाक जासूसी नेटवर्क पर एसटीएफ का शिकंजा

कोलकाता. पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से कथित संबंध वाले जासूसी मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी कोलकाता के तपसिया इलाके में सक्रिय था और मुख्य संदिग्ध के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में मदद कर रहा था.

मेजर का नेटवर्क पंजाब से अमेरिका तक

चंडीगढ़. संगठित अपराध नेटवर्क को लेकर अमेरिकी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बीच 29 वर्षीय मेजर सिंह का नाम सामने आया है. उपलब्ध एफबीआई रिकॉर्ड के मुताबिक, मेजर सिंह भारतीय नागरिक है और उस पर कैलिफोर्निया में दर्ज संघीय मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

इलाज को आए 9 जिंदा जले

कोलकाता में होटल खाक, मृतकों में सभी बांग्लादेशी

80 लोगों का रेस्क्यू

06 गंभीर झुलसे

कोलकाता, 19 अगस्त. कोलकाता के न्यू मार्केट थाना क्षेत्र स्थित मिर्जा गालिब स्ट्रीट के होटल 'शिका इन' में आधी भड़की भीषण आग में 9 बांग्लादेशी जिंदा जल गए. मृतकों में दो महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल हैं. सभी इलाज के लिए कोलकाता आए हुए थे. आग उस समय लगी, जब होटल में ठहरे ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे.

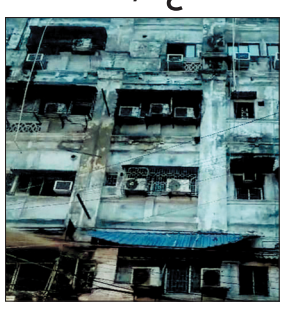

आग और धुंआ फैलने के बाद होटल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल मौके पर पहुंचीं. अधिकारियों के अनुसार, 80 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. जबकि 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए है.

दो दिन पहले 8 की हुई थी मौत

कोलकाता के होटल में लगी यह आग, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक होटल में लगी जानलेवा आग के ठीक दो दिन बाद लगी है. दो दिन पहले ही तारापीठ के होटल विदेशिनी में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे.

किशोरों के लिए खास चैटजीपीटी

नई दिल्ली. ओपन एआई ने किशोरों के लिए चैटजीपीटी का संस्करण लॉन्च किया है, जिसमें माता-पिता के नियंत्रण करने की सुविधाएं हैं. एआई चैटबॉट्स से जुड़े संभावित जोखिमों को लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दुनियाभर में जांच बढ़ रही है. नए चैटजीपीटी फॉर टीन्स मोड में आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने, हिंसा और ईटिंग डिसऑर्डर जैसे उच्च जोखिम वाले विषयों से जुड़ी बातचीत पर अतिरिक्त सुरक्षा सीमाएं लागू होंगी.

4 सुरक्षा के लिए बढ़ाए सुरक्षा उपाय

मंत्री नहीं, अफसर निकालते हैं टेंडर

गिरफ्तारी पर सत्येंद्र जैन की सफाई, फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 19 अगस्त. दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित टेंडर घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले में राजनीति और कानूनी बयानबाजी तेज हो गई है. एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के बाद इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई.

कोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने अदालत में कहा कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह

से राजनीति से प्रेरित है. जो आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर की गई है. जैन कोर्ट को बताया कि टेंडर की जानकारी मंत्री नहीं होती, यह सभी कार्य विभागीय अफसरों की निगरानी में होते है. जैन ने कहा कि एसीबी के अधिकारियों ने उनसे ऐसे तकनीकी सवाल पूछे जिनकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी.

जमानत पर भी लगा झटका

अर्जी खारिज कर कोर्ट ने जेल भेजा

दिल्ली जल बोर्ड के एसीबी से जुड़े मामले सत्येंद्र जैन समेत छह आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया. वहीं जमानत अर्जी पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी. जमानत अर्जी पर नोटिस जारी किया गया. अदालत ने सत्येंद्र जैन की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था.

मुफ्त में नहीं मिलता घर

पूनावाला ने बताई बीजेपी छोड़ने की दिलचस्प वजह

नई दिल्ली, 19 अगस्त. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों में प्रवक्ताओं को वेतन नहीं मिलता और उनके लिए अपने निजी खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था.

उन्होंने कहा कि उन्हें किराया देना है और मकान मालिक उनसे हर महीने किराया मांगता है. पूनावाला ने स्पष्ट किया कि बीजेपी से इस्तीफा देने का मतलब पार्टी की विचारधारा से दूरी बनाना नहीं है. उनके मुताबिक, बीजेपी उनके लिए नौकरी का माध्यम नहीं थी और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन तथा पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने खुद को पहली पीढ़ी का राजनेता बताते हुए

कहा कि वह उन नेताओं में शामिल नहीं हैं जिन्हें पारिवारिक राजनीतिक विरासत या किसी अन्य माध्यम से आर्थिक सहारा मिलता है. पूनावाला ने कहा कि उन्हें अपना गुजारा चलाने के लिए दूसरे रास्ते तलाशने की जरूरत थी.

लोगों की सेहत पर विजय का बड़ा कदम

हेल्थ बीमा में अब 25 लाख का इलाज मिलेगा मुफ्त

चेन्नई, 19 अगस्त. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 'मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना' के तहत सालाना कवरेज को पांच गुना बढ़ाने की घोषणा की. इसके तहत प्रति लाभार्थी परिवार कवरेज की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है.

विजय ने कहा कि चिकित्सा सुविधा तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है और यह सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए जो इसका खर्च उठा सकते हैं. सरकार की मंशा है कि

वित्तीय या भौगोलिक बाधाएं बेहतर इलाज पाने से न रोकें. इसके अलावा विधायकों को अब एक गाड़ी दी जाएगी, ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आसानी से यात्रा कर सकें और निवासियों की शिकायतों का समाधान कर सकें.

आदेश | सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का आदेश पलटने पर हाईकोर्ट को गलत ठहराया

बुजुर्गों को सताया तो बच्चों को नहीं मिलेगी संपत्ति

नई दिल्ली, 19 अगस्त. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, सुरक्षा और भरण-पोषण सुनिश्चित करने के लिए ट्रिब्यूनल उनके बच्चों और बहू-बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दे सकता है.

कोर्ट ने कहा कि बढ़ती उम्र का मतलब असुरक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति को जीवनभर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस

फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रिब्यूनल द्वारा बेटे और बहू को मकान से बेदखल करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सुरक्षा के लिए जरूरी होने पर ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश जारी कर सकता है. मामला लखनऊ के विकास नगर निवासी रवि कांत गुप्ता की अपील से जुड़ा था. गुप्ता ने 5 जून 2022 को अपने बेटे को मकान से बेदखल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दिया था. यह मकान उनकी स्वयं खरीदी हुई संपत्ति थी. मामले में यह तथ्य भी सामने आया कि उनकी 81 वर्षीय मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था. एसडीएम ने 15 नवंबर 2022 को बेटे की बेदखली का आदेश दिया. इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने 9 अगस्त 2023 को आदेश को बरकरार रखते हुए बेटे और बहू को मकान खाली करने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप करके गलती की. सुप्रीम कोर्ट ने एस. वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर (2021) के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश दे सकता है.

2007 कानून में बुजुर्गों के अधिकार का प्रावधान

1. बच्चों से भरण-पोषण.
2. मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में शिकायत
3. बच्चों को संपत्ति से बेदखल कराने का अधिकार
4. संपत्ति ट्रांसफर रद्द कराने का अधिकार
5. लावारिस छोड़ने पर सजा
6. इलाज और मेडिकल सुविधा
7. वृद्धाश्रम का प्रावधान